



## दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने का बिल लोकसभा में पेश, बीजेपी बोली- आर्टिकल 370 जैसी दिवकत होगी दूर

नई दिल्ली, 25 मार्च (एजेन्सी)। दिल्ली नगर निगम (संस्थान) विधेयक, 2022 विषय की आपतियों के बीच शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी के तीन नगर निगमों का विलय करना चाहता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यानंद के शपथ प्रणवण के लिए उत्तर प्रदेश में हैं। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने प्रियोरिटी किया। इनका कहना है कि यह कदम भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है।

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने

**चीन में कोरोना का प्रकोप, यूजीसी ने भारतीय छात्रों को सोच-समझकर दाखिला लेने की सलाह दी**

नई दिल्ली, 25 मार्च (एजेन्सी)। चीन में कोरोना महामारी विकराल रूप लेने लगी है। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने चीन में विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को पढ़ोरी देश द्वारा लागू केविड संबंधित यात्रा पार्वदियों से "अवगत" होने की सलाह दी है। कहा है कि इसके चलते कई छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वहां नहीं लौट सकेंगे। यूजीसी ने यह भी कहा कि पार्वदियों में कोई ढील नहीं दी गयी है और चीनी प्राधिकारियों ने बताया है कि पाठ्यक्रमों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी।

यूजीसी ने एक सर्वजनिक नोटिस में कहा कि बहराहाल, नियमों के अनुसार, यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) पूर्व अनुमति के बिना केवल ऑनलाइन माध्यम से किए गए ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देती है। यह नोटिस ऐसे वक्त जारी किया गया है, जब इससे पहले कुछ चीनी विश्वविद्यालयों ने मौजूदा और आगामी अकादमिक वर्षों के लिए विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नोटिस जारी किए हैं।

यूजीसी ने कहा, "इस संदर्भ में किसी भी संभावित छात्र को यह जानकारी होनी चाहिए कि चीन सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर सख्त यात्रा पार्वदियां लागू कर रखी हैं और नवंबर 2020 से सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र इन पार्वदियों के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए चीन नहीं लौट पाए हैं।"

इसने कहा कि पार्वदियों में कोई ढील नहीं दी गयी है और चीनी प्राधिकारियों ने बताया है कि पाठ्यक्रमों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। यूजीसी ने नोटिस में कहा है, "मौजूदा नियमों के अनुसार, यूजीसी और एआईसीटीई बिना पूर्व अनुमति के केवल ऑनलाइन माध्यम से किए गए ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए छात्रों को सोच-समझकर यह विकल्प चुनने की सलाह दी जाती है कि वे कहा से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि उन्हें रोजगार या उच्चतर शिक्षा में आगे दिक्कतें नहीं हो।"

**रेलवे को भारी पड़ता है रियायतें देना' सभी को छूट का दायरा बढ़ाना फिलहाल संभव नहीं : अश्विनी वैष्णव**



राजेश अल्खा

नई दिल्ली, 25 मार्च। कोरोना महामारी के चलते अपने इतिहास में पहली बार कुछ समय के लिए भारतीय रेल ने केवल दिव्यांगजनों की चार श्रेणियों, मरीजों की 11 रेवेन्यू पर वापस नहीं लौटी है। ये उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुई चुनौतियों के कारण वर्ष 2020-21 में कुल यात्री राजस्व कोविड पूर्व अवधि (2019-20) की तुलना में कम है।

इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि यात्रियों को रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है, इसलिए यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए रियायतों का दायरा बढ़ाना फिलहाल वांछिय नहीं है। उन्होंने कहा कि रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है, इसलिए यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए रियायतों का दायरा बढ़ाना फिलहाल वांछिय है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को लेकर रेलवे पर भारी पड़ती है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए गाड़ियों के अंदर लिनेन और पर्फैंड उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

उन्होंने एक सवाल के लिए जितने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

## दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने का बिल लोकसभा में पेश, बीजेपी बोली- आर्टिकल 370 जैसी दिवकत होगी दूर

कहा, 'एमसीडी के एकीकरण के बाद दिल्ली की समस्याओं का समाधान होगा। हम व्यवस्थाओं को टीक करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसा हमने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाकर किया था, दिल्ली में भी वैसा ही करेंगे। दिल्ली के एकीकरण से दिल्ली को लाभ होगा। ये विषय की तरफ से दिल्ली की बासमता में असमान था।

विधेयक में प्रस्ताव है कि विलय की गई निकाय में पार्श्वदों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का निर्धारण केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से करेंगा। बिल के एकीकरण से दिल्ली को लाभ होगा। ये विषय की तरफ से दिल्ली की बासमता में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में



नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सूचन क्षमता के मामले में असमान था।

विधेयक के अनुसार, दिल्ली में

नियुक्त किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्काल



## राजनीति में हिंसा रुके

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता की हत्या के बाद जिस तरह से आठ लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इसमें केंद्र, राज्य सरकार की हर तरह से मदद करने को तैयार है। इसके साथ मोदी ने राज्य के लोगों से ऐसी हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने वाले लोगों को कभी माफ न करने की अपील की। प्रधानमंत्री के बयान को आधार बनाएं तो ऐसी घटना के बाद जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से ऐसे ही संयत और गंभीर रुख की अपेक्षा की जाती है।

राज्य में इस घटना को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनकड़ आमने-सामने नजर आए और दोनों में तीखी बयानबाजी हुई, वह बाकई निराशाजनक है। मुख्यमंत्री ने घटना की निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए भी इसके पीछे राज्य को बदनाम करने की संभावित साजिश का जिक्र कर दिया। ऐसे बयान उन आशंकाओं को मजबूती देते हैं कि कहीं जांच प्रक्रिया को खास दिशा देने की कोई मंशा तो काम नहीं कर रही। बहरहाल, बीरभूम की घटना पश्चिम बंगाल के लिए न तो नहीं है और न ही आश्चर्यजनक। संगठित हिंसा यहां की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा काफी पहले से बनी हुई है।

तीन दशकों से ऊपर के लेफ्ट शासन के दौरान यहां राजनीतिक और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में सीपीएम कार्यकर्ताओं का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। अपने लिए स्पेस बनाने की विरोधी पार्टियों की कोशिशों से उस दौरान प्रायः हिंसक तरीकों से ही निपटा जाता था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों के वर्चस्व को तो खत्म किया, लेकिन राजनीति की इस शैली को बदलने का कोई खास प्रयास भी उसकी तरफ से होता नहीं दिखा। नतीजा यह कि जिस सिंडिकेट कल्चर को कोसते हुए तृणमूल सत्ता में आई, वह और व्यापक हुआ। इसी का नतीजा है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी होने के बावजूद जब तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता की हत्या होती है तो उसके शोक संतास समर्थक भी इंसाफ के लिए पुलिस और प्रशासन का मुंह देखने के बजाय खुद कानून हाथ में लेकर संदिग्धों को तत्काल सजा देने का अभियान शुरू कर देते हैं।

ममता बनर्जी न केवल तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता और राज्य की मुख्यमंत्री हैं बल्कि हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पराजित करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का संभावित साझा चेहरा भी मानी जा रही है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त रखने के साथ ही हिंसा की संस्कृति खत्म कर वहां लोकतांत्रिक राजनीति का दायरा बढ़ाने की चुनौती भी उनके सामने है। इस दिशा में कारगर प्रयासों से ही राष्ट्रीय राजनीति में विकल्प के उनके दावे को प्रामाणिकता मिलेगी।

## संपादकीय पृष्ठ

# उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा

हरिवंश चतुर्वेदी

जीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार द्वारा 45 केंद्रीय दाखिले के लिए घोषित किए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड-एन्स टेस्ट (सीयूईटी) के साथ ही अब अगले सत्र से नई व्यवस्था लागू हो गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इसमें केंद्र, राज्य सरकार की हर तरह से मदद करने को तैयार है। इसके साथ मोदी ने राज्य के लोगों से ऐसी हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने वाले लोगों को कभी माफ न करने की अपील की। प्रधानमंत्री के बयान को आधार बनाएं तो ऐसी घटना के बाद जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से ऐसे ही संयत और गंभीर रुख की अपेक्षा की जाती है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। प्रियंका विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी।







# दूसरी बार यूपी के सीएम बने योगी

**दो उपमुख्यमंत्री और 16 कैबिनेट मंत्री समेत कुल 52 मंत्रियों ने ली शपथ**

लखनऊ, 25 मार्च (एजेन्सी)

योगी आदित्यनाथ ने आज दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल अनंदी बेन पटेल ने शपथ ली है। योगी आदित्यनाथ सरकार योगी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस भौमैके पर केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

केशव प्रसाद मौर्य ने दोबारा सूबे के उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद भाजपा आलाकमान ने उन पर भरोसा बनाए रखा है। वर्ती, कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। पार्टी में ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाया गया है। तय हो गया है कि भाजपा अब ब्राह्मणों के बावजूद भाजपा आलाकमान ने 152 में से दो उपमुख्यमंत्री और 16 मंत्री, 14 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रधार और 20 राज्यमंत्रियों ने शपथ ली है। योगी आदित्यनाथ सरकार में केशव प्रसाद मौर्य ने दोबारा उपमुख्यमंत्री शपथ ली है। दूसरे पर डा. दिनेश शर्मा की जगह अब ब्रजेश पाठक को उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है। पार्टी में ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाया गया है। तय हो गया है कि भाजपा अब ब्राह्मणों की लीडरशिप में बदलाव कर रही है। इसी के साथ दो उपमुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रधारी और 20 राज्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है।

योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी के दिक्काना स्टेडियम में दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ को लीडरशिप में बदलाव कर रही है। पार्टी में ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाया गया है। तय हो गया है कि भाजपा अब ब्राह्मणों की लीडरशिप में बदलाव कर रही है।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया है। भाजपा का फोकस मिशन 2024 पर है, इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल 2.0 में जातीय व क्षेत्रीय समीकरण योगी आदित्यनाथ के साथ कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली।



के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

मयोक्षश्वर सिंह, दिनेश खटीक,

संजीव गौड़, बलदेव सिंह ओलख,

अंजीत पाल, जसवंत सेनी, रामकेश

भूपेन्द्र सिंह चैधरी, अनिल राजभर,

जितिन प्रसाद, राकेश सच्चान,

अरविंद कुमार शर्मा, योगेन्द्र

अनूप प्रधान बाल्टीकि, प्रतिमा

शुक्राला, राकेश राठौर गुरु, रजनी

तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आजाद

अंसारी, विवर विजय लक्ष्मी गौतम

ने राज्य मंत्री की शपथ ली है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के

दूसरे कार्यकाल में डा. महेन्द्र सिंह,

श्रीकांत शर्मा, नीलामा कटियार,

सतीश महाना, आशुषोप टंडन

सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप

सिंह अरुण कुमार सच्चना, दयाशंकर

मंत्री नहीं बने। मंत्रिमंडल से

मोहसिन रजा का पता कटा, मोहसिन

की जगह दानिश आजाद को मौका

दिया गया है। डा. दिनेश शर्मा को

विधान परिषद का सभापति बनाया

जा सकता है। सतीश महाना के

विधानसभा अध्यक्ष होने की चर्चा

है।

उत्तराखण्ड की पूर्व राज्यपाल

बेबी रानी मौर्य को मंत्रिमंडल में

जगह मिली है। विधानसभा से

विधायक हैं। जयवीर

मुलायम और मायावती सरकार में

भी मंत्री रहे हैं। मथुरा के लक्ष्मी

नारायण चैधरी को योगी मंत्रिमंडल

में जगह मिली है।

उत्तराखण्ड की पूर्व राज्यपाल

बेबी रानी मौर्य को मंत्रिमंडल में

जगह मिली है। वह मैनपुरी

विधानसभा से विधायक हैं। जयवीर

मुलायम और मायावती सरकार में

भी मंत्री रहे हैं। मथुरा के लक्ष्मी

नारायण चैधरी को योगी मंत्रिमंडल

में जगह मिली है।

शाहजहांपुर से विधायक सुरेश

कुमार खत्ता को योगी कैबिनेट में

जगह मिली है। इसके अलावा योगी

सरकार के दूसरे

कार्यकाल में मंत्री रहना गया है।

वह यूपी भाजपा अध्यक्ष है।

उत्तराखण्ड की पूर्व राज्यपाल

बेबी रानी मौर्य को मंत्रिमंडल में

जगह मिली है। वह मैनपुरी

विधानसभा से विधायक हैं। जयवीर

मुलायम और मायावती सरकार में

भी मंत्री रहे हैं। मथुरा के लक्ष्मी

नारायण चैधरी को योगी मंत्रिमंडल

में जगह मिली है।

उत्तराखण्ड की पूर्व राज्यपाल

बेबी रानी मौर्य को मंत्रिमंडल में

जगह मिली है। वह मैनपुरी

विधानसभा से विधायक हैं। जयवीर

मुलायम और मायावती सरकार में

भी मंत्री रहे हैं। मथुरा के लक्ष्मी

नारायण चैधरी को योगी मंत्रिमंडल

में जगह मिली है।

उत्तराखण्ड की पूर्व राज्यपाल

बेबी रानी मौर्य को मंत्रिमंडल में

जगह मिली है। इसके अलावा योगी

सरकार में मंत्री रहे हैं। उत्तराखण्ड

की जगह दानिश आजाद को मौका

दिया गया है। डा. दिनेश शर्मा को

विधान परिषद का सभापति बनाया

जा सकता है। सतीश महाना के

विधानसभा अध्यक्ष होने की चर्चा

है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के

दूसरे कार्यकाल में डा. महेन्द्र सिंह

में जगह मिली है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के

दूसरे कार्यकाल में डा. महेन्द्र सिंह

में जगह मिली है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के

दूसरे कार्यकाल में डा. महेन्द्र सिंह

में जगह मिली है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के

दूसरे कार्यकाल में डा. महेन्द्र सिंह

में जगह मिली है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के

दूसरे कार्यकाल में डा. महेन्द्र सिंह

में जगह मिली है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के

दूसरे कार्यकाल में डा. महेन्द्र सिंह

में जगह मिली है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के

दूसरे कार्यकाल में डा. महेन्द्र सिंह

में जगह मिली है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के

दूसरे कार्यकाल में डा. महेन्द्र सिंह

में जगह मिली है।

योगी